

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1.निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2.निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), उ0प्र0।
- 3.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
- 4.समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2021

विषय: कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14 जून 2021 से रेहड़ी पटरी दुकानदार फल सब्जी विक्रेता, आटो रिक्शा, रिक्शा व बस चालकों के टीकाकरण हेतु विशेष सत्र आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 08.06.2021 का कार्यवृत्त संख्या- 975/पॉच-9-2021 दिनांक 08.06.2021 एवं चिकित्सा विभाग के पत्र संख्या- 976/पॉच-9-2021 दिनांक 08.06.2021(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 14.06.2021 से विशेष टीकाकरण सत्र स्थापित कर प्रदेश के सभी जनपदों में वर्क प्लेस सी0वी0सी0 पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ड्राइवर/कन्डेक्टर/फल, सब्जी विक्रेता/आटो, रिक्शा चालक/फुटपाथ दुकानदारों को अभियान चलाकर कोविड वैक्सीनेशन कराया जायेगा।

उक्त के क्रम में प्रत्येक जनपद में नगर निगम/नगर पालिका ऑफिस में प्रतिदिन कम से कम 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों, फल-सब्जी विक्रेता व रिक्शा/टेला चालकों के लिये 50-50 व्यक्ति की क्षमता वाले दो (एक 45 वर्ष से अधिक एवं दूसरा 18 से 44 वर्ष तक के नागरिकों के लिये) सी0वी0सी0 स्थापित किया जायेगा। यह वर्क प्लेस सी0वी0सी0 की तरह से क्रियाशील होगा जिसमें संबंधित कार्यालय से सहयोग लेकर स्वनिधि योजना के अन्तर्गत पंजीकृत फेरी वालो तथा फुटपाथ दुकानदारों एवं पंजीकृत रिक्शा/टेला चालकों को प्राथमिकता के आधार पर संतुष्ट किया जायेगा। नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में कार्य सम्पन्न होने के पश्चात या वर्कप्लेस सी0वी0सी0 नगर पंचायतों में लगाया जा सकेगा।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय/व्यवस्था के क्रम में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कोविड वैक्सीनेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(कल्याण बनर्जी)
उप सचिव।

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2021

विषय:कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14 जून, 2021 से रेहड़ी पटरी दूकानदार, फल सब्जी विक्रेता, आटो रिक्शा, रिक्शा व बस चालकों के टीकाकरण हेतु विशेष सत्र आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,


जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों हेतु कोविड टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की अभिनव पहल की कड़ी में जनपदों में फेरी लगाकर आजीविका कमाने वाले नागरिकों (स्ट्रीट वेंडर्स), ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि के ड्राइवर एवं साईकिल/ई-रिक्शा के चालकों तथा फल-सब्जी विक्रेताओं के लिये दिनांक 14 जून, 2021 से विशेष टीकाकरण सत्र स्थापित कर कोविड टीकाकरण किया जाना है। यह वर्कप्लेस सी0वी0सी0 के रूप में चलाया जायेगा तथा इसकी तिथि वार सूची जिलाधिकारी के द्वारा नामित नोडल अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1. ड्राइवर बूथ— प्रत्येक जनपद में आर0टी0ओ0 ऑफिस में प्रतिदिन कम से कम 100 कामर्शियल वाहन चालकों (बस, टैक्सी, आटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा चालकों) एवं बसों के कण्डक्टरों के लिये 50-50 व्यक्ति की क्षमता वाले दो (एक 45 वर्ष से अधिक एवं दूसरा 18 से 44 वर्ष तक के नागरिकों के लिये) सी0वी0सी0 स्थापित किया जायेगा। यह वर्कप्लेस सी0वी0सी0 की तरह से कियाशील होगा, जिसमें संबंधित कार्यालय से सहयोग लेकर पंजीकृत कामर्शियल वाहन चालकों को प्राथमिकता के आधार पर संतुष्ट किया जायेगा।
2. स्ट्रीट वेंडर्स बूथ— प्रत्येक जनपद में नगर निगम/नगरपालिका ऑफिस में प्रतिदिन कम से 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों, फल-सब्जी विक्रेता व रिक्शा/टेला चालकों के लिये 50-50 व्यक्ति की क्षमता वाले दो (एक 45 वर्ष से अधिक एवं दूसरा 18 से 44 वर्ष तक के नागरिकों के लिये) सी0वी0सी0 स्थापित किया जाना है। यह वर्कप्लेस सी0वी0सी0 की तरह से कियाशील होगा, जिसमें संबंधित कार्यालय से सहयोग लेकर स्वनिधि योजना के अन्तर्गत

पंजीकृत फेरीवालों तथा फुटपाथ दुकानदारों एवं पंजीकृत रिक्शा/टेला चालकों को प्राथमिकता के आधार पर संतुष्ट किया जायेगा। नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में कार्य सम्पन्न होने के पश्चात यह वर्कप्लेस सी0वी0सी0 नगर पंचायतों में लगाया जा सकेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार दिनांक 14 जून, 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों हेतु विशेष सत्र स्थापित एवं प्रकाशित करते हुए स्ट्रीट वैंडर्स एवं ड्राईवर्स आदि का कोविड टीकाकरण सुचारु रूप से सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उपर्युक्त विशेष कोविड वैक्सीनेशन बूथों पर ए0ई0एफ0आई0 प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये तथा आकस्मिकता की स्थिति के लिये एम्बुलेंस को तैयार रखा जाये।

भवदीय,


8.6.2021

(अमित मोहन प्रसाद)


अपर मुख्य सचिव

संख्या 976(1)/पांच-9-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
- 2 निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मातृ तथा शिशु कल्याण विभाग।
- 3 प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
- 7 महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
- 8 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
- 9 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 10 राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
- 11 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 12 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


58-86-2021
(शशि कान्त शुक्ल)
उप सचिव।

● अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु ड्राइवर/कन्डेक्टर/फल, सब्जी विक्रेता/आटो, रिक्शा चालक/फुटपाथ दुकानदारों को वैक्सीनेशन कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 08-06-2021 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति अधिकारीगण

- 1-श्री एस0पी0 सिंह सेंगर, विशेष सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2-डा0 राकेश दूवे, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-श्री अजय द्विवेदी, नगर आयुक्त, लखनऊ।
- 4-श्री कल्याण बनर्जी, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5-डा0 अजय घई, संयुक्त निदेशक, (आर0आई0)परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6-श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अपर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7-श्री आशुतोष गौड़, प्रधान प्रबन्धक, परिवहन विभाग, उ0प्र0।
- 8-श्री मनोज राजपूत, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, यू.पी.एस.एस.बी0, लखनऊ।
- 9- डा0 अर्चना द्विवेदी, एम0एम0सी0 नगर निगम, लखनऊ।
- 10-सरनीत ब्रोका, ए0एम0डी0, यू0पी0 एस0आर0टी0।
- 11-श्री विकास कुरील, अधिशासी अभियन्ता, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।

परिचयोपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त निर्देशित किया गया कि दिनांक 14.06.2021 से प्रदेश के सभी जनपदों में वर्क प्लेस सी0वी0सी0 पर 18 से 44 आयु वर्ग एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ड्राइवर/कन्डेक्टर/फल, सब्जी विक्रेता/आटो, रिक्शा चालक/फुटपाथ दुकानदारों को अभियान चलाकर कोविड वैक्सीनेशन कराया जाय। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग तथा समस्त नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण की कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

1- उक्त टीकाकरण कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी बस चालको/परिचालको, सभी निजी बस चालको एवं परिचालको, सभी आटो/ई-रिक्शा चालको को कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराये जाने हेतु सूची तैयार कराकर जनपद के सम्भागीय परिवहन कार्यालय/अन्य परिवहन विभाग के सुविधाजनक स्थल को चिन्हित करते हुए सी0बी0सी0 (कोविड वैक्सीनेशन सेन्टर) बनाकर प्रत्येक दिवस में लगभग 100-150 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जायेगा।


(कार्यवाही-परिवहन विभाग/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

2- साथ ही बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि नगर विकास विभाग प्रदेश के समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में फल एवं सब्जी विक्रेताओं, रिक्शा चालकों तथा ठेला एवं स्ट्रीट वेन्डर/फुटपाथ विक्रेताओं को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कराकर उनका कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराया जायेगा।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

इस सम्बन्ध में पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।


अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।


8.6.21
अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-375/ गं-9-2021
लखनऊ दिनांक 08 जून, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग विभाग, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- नगर आयुक्त, लखनऊ।
- 5- राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शशि कान्त शुक्ल)
उप सचिव